102

न्यायालय मे श्री मान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल

ग्वालियर (म0 प्र0)

II/अपील/शहडोल/भू-रा/2017/1769

अबु ओबेदा उम्र 55 वर्ष पिता मो0 जलालूद्दीन निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल म0 प्र0 — — — — — — — — — — — अपीलार्थी

बनाम

1— मानधाता सिंह पिता इन्द्र बहादुर सिंह मृत वारिसान

1— रघुनंदन सिंह पिता स्व0 मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल म0 प0

2— रतना सिंह पिता स्व0 श्री मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल म0 प0

3— श्रीमती वसुंधरा सिंह पिता स्व0 श्री मानधातासिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल म0 प0

4— श्रीमती मीरा सिंह पत्नी स्व0 श्री मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल

5— म0 प0 शासन — — — — — — — — — — — उत्तरार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 41 मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्च सीमा अधिनियम 1960

अपील विरूद्ध श्री मान अपर कमिश्नर संभाग शहोल के प्रकरण कमॉक 02/बी—90(3)/ 2015—2106 आदेश दिनॉक 11/3/2016, 28/4/16.

मान्यवर—:

प्रार्थी/ अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर विनय करता है कि——:

प्रकरण के तथ्य

यह कि ग्राम खैरहा तहसील बुढार स्थित आराजी खसरा कमॉक 1105, 1118/2 रकवा कमशः 0 44, 11 87 एकड आराजी अपीलार्थी के भूमिस्वामित्व कब्जे दखल कि आराजी है जिसे रजिर्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय किया है । अपीलार्थी ने ग्राम खैरहा तहसील बुढार कि आराजी खसरा कमॉक 1105, 1118/2 रकवा कमशः 0 44, 11 87 एकड आराजी को दिनॉक 09/12/1991 को, प्रतिभा कुमारी सिंह से रजिर्स्टड

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/अपील/शहडोल/भूरा/2017/1769

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
16-4-18	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन द्वारा यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0 क0 02/बी–90(3)/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.3.16 एवं 28.4.16 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 41 मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्च सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। अपील मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2– अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह अपील 1 वर्ष 3 माह के विलंब से इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं, जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। सदस्य	